कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

09 MAY 2024

क्रमांक : 476 / दो–12–01 / 2004(फा.65) उज्जैन, दिनांक 09.05 / 2024

–:: परिपत्र ::–

प्रायः मेरे देखने में यह आया है कि इस स्थापना पर पदस्थ महिला कर्मचारीगण द्वारा संतान पालन अवकाश पर रहने की अवधि में अवकाश समाप्ति के पूर्व ही निरंतरता में संतान पालन अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है जो कि पूर्णतया अनुचित है इस कारण प्रशासकीय कार्य व्यवस्था एवं न्यायालयीन कार्य व्यवस्थता भी विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

म.प्र. अवकाश नियम, 1977 के नियम–6 अनुसार अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक बी / 2005 दिनांक 28.04.2016 के संलग्न मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 6–1 / 2015 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 17 नवंबर 2015 अनुसार अवकाश नियम–13 अनुसार संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र भी अर्जित अवकाश की भांति तीन सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 6–1 / 2022 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 13 सितंबर 2022 के परिपालन में निर्धारित प्रारूप के संलग्न अवकाश कारण संबंधी आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न प्रस्तुत नहीं किए जा रहे है।

अतः समस्त महिला कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र तीन सप्ताह पूर्व कार्यालय में अवकाश कारण संबंधी आवश्यक प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे तथा जो महिला कर्मचारी पूर्व से संतान पालन अवकाश पर है उन्हें अवकाश समाप्ति उपरांत कर्तव्य पर उपस्थित हो जाना चाहिए तथा भविष्य में उन्हें पुनः उक्त अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तब उनके द्वारा प्रस्तुत अवकाश आवेदन पत्र पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

इसके अतिरिक्त प्रशासकीय कार्य व्यवस्था अंतर्गत स्थानांतरण की दशा में संबंधित महिला कर्मचारी को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा तथा नवीन पीठासीन अधिकारी के माध्यम से ही पुनः अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्चित होंवे। अपालन की स्थिति में अवकाश आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(दीपेश तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

10 MAY 2024

पृ0 क्रमांक : 4671 / दो–12–01 / 2004(फा.65) उज्जैन, दिनांक..........05 / 2024

आदेशानुसार प्रतिलिपि :–

1– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला नाजिर / नायब नाजिर के माध्यम से समस्त महिला कर्मचारीगण तृतीय / चतुर्थ श्रेणी में उक्त परिपत्र परिचालित एवं उन्हें नोट करवाया जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति कार्यालय में प्रेषित करे।

2– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र कर्मचारीगण के मध्य व्हाट्सग्रुप के माध्यम से भी परिचालित करवाया जाना सुनिश्चित करे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)